न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 321/2018 जी.सी.एम.एस नम्बर 2018/00353

1. सुधीर कुमार पुत्र छीतर
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र छीतर
3. सुशीला देवी पुत्री छीतर
   समस्त जातियान बलाई निवासीगण प्लांट सं. 42, जोशीयों का मौहल्ला एस.बी.बी जे. बैक के पीछे, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान।

—अपीलांट्स

बनाम

1. अमरी पत्नी पोकर
2. पप्पू पुत्र पोकर
3. नानूराम पुत्र पोकर
4. लालाराम पुत्र पोकर
5. गोपाल पुत्रान् पोकर समस्त जातियान बलाई निवासीगण ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
6. प्रेम देवी पुत्री पोकर पत्नीदयाल चन्द जाति बलाई नि. ग्राम बोबार तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।
7. गीता देवी पुत्री पोकर पत्नी रामोतार जाति बलाई निवासी ग्राम रामकुई पचार तहसील व जिला जयपुर राज.
8. सीता देवी पुत्री पोकर पत्नी राजू जातिलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील व जिला जयपुर
9. राज सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।
10. ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा जरिये हाल सरपंच पं. सं. झोटवाड़ा, जयपुर।

—रेस्पोडेट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.07.2018 प्रकरण सं. 9/18 के द्वारा स्वय का निर्णय 23.04.2018 को खारिज फरमा दिया गया द्वारा न्यायालय तहसीलदार जयपुर।

उपस्थित—

1. श्री नरेन्द्र कुमार वकील अपीलान्ट
2. श्री मदनलाल कुड़ी वकील रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 8 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 9 व 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—27.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, तहसील जयपुर के आदेश दिनांक 30.07.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम बसेड़ी तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि ख० नं० 15 रकबा 53 बीघा 19 बिस्वा का हिस्सा 29/54 भैरू पुत्र बेणा जाति बलाई के नाम खातेदारी भूमि थी। भैरू की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण सं0 179 दिनांक 15.09.1987 गुल्ली पत्नी भैरू व पोखर दत्तक पुत्र गैरू के नाम ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित कर दिया गुल्ली पत्नी भैरू की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक भैरू की पुत्री नारंगी देवी पत्नी छीतर की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उक्त अपील प्रस्तुत करने परतहसीलदार जयपुर को नामा0 सख्या 179 निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये जिस पर तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तरकरण सं0 179 दिनांक 15.09.1987 व पश्चातवर्ती नामान्तरकरण सं० 306 ,560 551, 959 निरस्त कर मृतक भैरू पुत्र बेणा बलाई के बजाय नारंगी देवी पत्नी छीतर पुत्री भैरूराम के वारिसान् सुधीर कुमार, जितेन्द्र कुमार पुत्र छीतर, सुशीला पुत्री छीतर के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण सं0 179 पर इस आशय का निर्णय अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 23.04.2018 को दिये गये। तत्पश्चात् तहसीलदार जयपुर द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 23.04.2018 को निरस्त कर नारंगी देवी के विधिक उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय से घोषणात्मक वाद दायर कर अपने अधिकार प्राप्त करने के आदेश दिनांक 30.07.2018 को दिये गये।

3. तहसीलदार, तहसील जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुधीर कुमार पुत्र छीतरद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, तहसील जयपुर के निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किये जाने एवं निर्णय दिनांक 23.04.2018 बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर के खसरा सं. 15 रकबा 53 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी भैरू पुत्र बेणा हिस्सा 29/54, था जिसकी मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 179, दि. 15.9.1987 को उसकी पत्नी गुल्ली व दत्तक पुत्र पोकर के नाम तस्दीक कर दिया गया, जबकि अपीलॉटस की माता नारंगी देवी मृतक भैरू पुत्र बैणा की पुत्री है, तथा हिन्दू एक्ट उत्तराधिकार के तहत पुत्री, पुत्र व विधवा का बराबर–बराबर हिस्सा होता है, परंतु ग्राम पंचायत के समक्ष रेस्पोडेंट/हाल रेस्पोन्टटेट पति व पिता पोकर ने स्वयं के नाम ही नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया गया। अपीलांटस की माता स्व. नारंगी देवी पुत्री भैरूराम पत्नी छीतरमल जाति बलाई द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के यहां इस आशय के साथ पेश की गई गुल्ली पत्नी भैरू फौत हो चुकी है, जिसका हिस्सा भी अपीलांट के हिस्से में दिया जावे। नारंगी के पिता भैरू पुत्र बैणा द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया, तथा गलत तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जिसे निरस्त किया जावें, जिस पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नामान्तरकरण सं. 179, दिनांक 15.09.1987 को खारिज़ किया जाकर तहसीदार जयपुर को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि अन्य पक्ष को सुना जाकरगुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे । न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.5.17 की रेस्पो. द्वारा आज दिनांक तक किसी न्यायालय में अपील दाखिल नही की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.5.17 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांकः 15.09.1987 व उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 306,560,551,959 को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त करने के आदेश दिये गये तथा भूमि में मृतक भेरू पुत्र बेणा बलाई के बजाय उसके वारिसान अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकार दिये जाने के आदेश पारित कर दिये गये । रेस्पो.द्वारा न्यायालय तहसीलदार जयपुर के समक्ष निर्णय दिनांक 23.4.18, में एक प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर उल्लेख किया कि अदालत हाजा का आदेश दि. 23.04.18 "अरर अपरेन्ट ऑन दी फेस अफ दी रिकार्ड होने के कारण पुर्नविचार किये जाने योग्य है" तथा 27 साल बाद पेश प्रकरण पर विश्वास कर बिना वारिसानों की जांच किये ही उक्त आदेश पारित किया है। पत्रावली पर वारिसान से संबंधित कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये तथा वारिसान की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय में जांच की जानी चाहिए । अप्रार्थी सं. 2, भैरू की पुत्री न होकर किसी अन्य की की पुत्री है, पोकर पुत्र भैरू जरिये विक्रय – पत्र भूमिका विक्रय भी किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है, विक्रय पत्रको सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बिना ही निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण सं. 179 बहाल रखा जावे । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गलत तरीके से गलत तरीके से उभयपक्षों की बहस सुनी जाने का उल्लेख किया जाकर दिनांक 30.07.18 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह निरस्तनीय है क्योंकि रिव्यू प्रार्थना पत्र द्वारा केवल लिपिकीय त्रुटियॉ ही दुरूस्त की जा सकती है लेकिन न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये सम्पूर्ण आदेश को ही निरस्त कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक के विरूद्ध आज तक कोई अपील पेश नहीं की गई जिसमें नारंगी देवी को मृतक भैरू की पुत्री माना है जिस बाबत् अपीलांट द्वारा दस्तावेजात् पेश किये थे इसका अपीलाधीन आदेश में उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी द्वारा असंतुष्ट होने की स्थिति में तहसीलदार जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2018 के विरूद्ध अपील पेश की जा सकती है किन्तु रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व के निर्णय को खारिज कर अपीलाधीन आदेश पारित जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुर दिनांक 30.04.2018 निरस्त किया जाकर निर्णय दिनांक 23.04.2018 बहाल किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा नारंगी देवी को भैरू पुत्र बेणा की पुत्री मानकर आदेश दिनांक 23.04.2018 पारित किया गया। अदालत हाजा का आदेश दि. 23.04.18 "अरर अपरेन्ट ऑन दी फेस अफ दी रिकार्ड होने के कारण पुर्नविचार किये जाने योग्य है"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 27 साल बाद पेश प्रकरण पर मिथ्या व झूठे कथनों पर विश्वास कर बिना वारिसानों की जांच किये ही उक्त आदेश पारित किया है। पत्रावली पर वारिसान से संबंधित कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये तथा वारिसान की घोषणा हेतु क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय में जांच की जानी चाहिए । नारंगी देवी मृतक भैरू की पुत्री न होकर किसी अन्य दीगर व्यक्ति धन्ना पुत्र देवी निवासी ग्राम भैसावा की पुत्री है, पिता की मृत्यु उपरान्त नारंगी देवी की माता गुल्ली देवी समाज मे प्रचलित नाते प्रथा अनुसार भैरू के नाते चली गई थी और भैरू व गुल्ली के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री का जन्म नहीं हुआ उन्होने अपने जीवनकाल में पोकर को गोदप्रथा अनुसार प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में गोद लिया था। ग्राम पंचायत द्वारा उचित जॉच करने के पश्चात ही नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 15.09.1987 स्वीकार किया गया था। अपीलांट का

समागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है ना ही वे खातेदार भैरूराम के विधिक उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नारंगी देवी को उसका उत्तराधिकार मानकर अपीलाधीन नामा संख्या 179 को निरस्त करने के आदेश दिनांक 23.04.2018 को दिया। पोकर पुत्र भैरू जरिये विक्रय–पत्र भूमि का विक्रय भी किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है, विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दिये बिना ही निर्णय पारित किया था। ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना उचित एवं विधिसम्मत था एवं उसी आधार पर विधिवत् अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार तहसीलदार जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जाँच पश्चात् ही विधिवत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 23.04.2018 को निरस्त कर नारंगी देवी के विधिक उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय से घोषणात्मक वाद दायर कर अपने अधिकार प्राप्त करने के आदेश दिनांक 30.07.2018 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम बसेड़ी तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि ख० नं० 15 रकबा 53 बीघा 19 बिस्वा का हिस्सा 29/54 के मृतक खातेदार भैरूराम पुत्र बेणा की विरासत को लेकर है। भैरू की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण सं0 179 दिनांक 15.09.1987 गुल्ली पत्नी भैरू व पोखर दत्तक पुत्र गैरू के नाम स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तरकरण सं0 179 दिनांक 15.09.1987 व पश्चातवर्ती नामान्तरकरण सं० 306, 560, 551, 959 को निरस्त कर मृतक भैरू पुत्र बेणा बलाई के बजाय नारंगी देवी पत्नी छीतर पुत्री भैरूराम को विधिक उत्तराधिकार मानकर उसके वारिसान् सुधीर कुमार, जितेन्द्र कुमार पुत्र छीतर, सुशीला पुत्री छीतर के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 23.04.2018 को दिये गये। तत्पश्चात् तहसीलदार जयपुर द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 23.04.2018 को निरस्त कर नारंगी देवी के विधिक उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय से घोषणात्मक वाद दायर कर अपने अधिकार प्राप्त करने के आदेश दिनांक 30.07.2018 को दिये गये। इस संबधं में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट्स दोनों ही अपने आपको मृतक खातेदार भैरूराम पुत्र बेणा के विधिक उत्तराधिकारी बताते हुये अपने अधिकारों को तय कराने हेतु प्रस्तुत हुये हैं जो कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया के तहत् नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण एक Fiscal Proceeding है इसके तहत् अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। पक्षकारों को मृतक खातेदार के वारिसान की घोषणा हेतु अपने अधिकार तय कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुर उचित एवं विधिसम्मत् नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर का निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सक्षम सिविल न्यायालय से अधिकार तय होने के पश्चात् ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर